

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक - 10.11.2011 एवं झापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय सोविओसो, डॉ० सी०एन० गुप्ता, छपरा सदर द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल -01, छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्रांक 2584 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि० संगठन, कार्यप्रमंडल - 01, छपरा के द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन की राशि एवं उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के पत्रांक 2073 दिनांक 16.11.2019 एवं पत्रांक 2075 दिनांक 16.1.2019 द्वारा सात निश्चय से विलोपन संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	छपरा	छपरा नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं०-37 साहेबगंज कटहरीबाग हनुमान मंदिर से दक्षिण पी०सी०सी० सड़क नाली के बगल में एवं नाली निर्माण लगभग 200 फीट	204800.00	204800.00	श्री सी०एन० गुप्ता
2	"	छपरा नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं०-10 काशी बाजार में पानी टंकी के पास मानस सिंह के घर से कृष्णा सिंह के घर तक पी०सी०सी० रोड एवं नाला निर्माण ढक्कन सहित। लम्बाई-200x8	337400.00	337400.00	"
3	"	छपरा नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं०-10 काशी बाजार में प्रो० विनोद कुमार सिंह के घर से प्रो० प्रमोद कुमार शर्मा के घर तक गली का पी०सी०सी० रोड एवं नाला निर्माण ढक्कन सहित। लम्बाई-200x8	337400.00	337400.00	"
4	"	छपरा नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं०-33 मनोज जी के दुकान से स्व० महेन्द्र प्रसाद पूर्व चेयरमैन के गेट तक लगभग 400x10 पी०सी०सी० रोड एवं नाला निर्माण ढक्कन सहित उत्तर की ओर।	767700.00	767700.00	"
5	"	छपरा नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं०-33 मीठा बाजार में अशोक कुमार के दुकान से विनोद राय के घर तक पी०सी०सी० रोड एवं नाला निर्माण। लगभग-400	666600.00	666600.00	"
कुल :-			2313900.00	2313900.00	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- (तेईस लाख तेरह हजार नौ सौ रुपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल- 01, छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यन्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी।

2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक - 23.09.14 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत योजनाओं के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजना का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. प्रत्येक माह की 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, सारण (छपरा) को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

50/—

सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापनांक...../यो0 दिनांक.....20/11/19

- प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल -01, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— जिला एवं सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:— क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0स0, छपरा सदर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

50/11/19

सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

3